...–अदालत, अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

आर0ई0आर0 केस नं0–40/17–18

सागर मंडल बनाम् बलराम कुशवाहा वगै0

.7.01.2023

–: आदेश :–

वर्तमान वाद आवेदक सागर मंडल, पे0–महेन्द्र मंडल, सा0–सिंघाड़ी, थाना व अंचल–मेहरमा, जिला–गोड्डा के आवेदन पर मौजा–सिंघाड़ी नं0–04, जमाबंदी नं0–05, दाग नं0–316, रकवा–00–08–17 धूर भूमि से विपक्षी बलराम कुशवाहा, गुरूदेव मंडल, बिन्देश्वरी मंडल, प्रमोद मंडल, सभी पे0–स्व0 शंकर मंडल, सभी सा0–सिंघाड़ी, थाना व अंचल–मेहरमा, जिला–गोड्डा को उच्छेद करने हेतु दायर किया गया है। तदनुसार उभय पक्ष द्वारा निर्गत नोटिस के विरूद्ध न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कागजात दाखिल किया गया। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का बहस सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया।

अंचल अधिकारी, मेहरमा द्वारा अपने पत्रांक1319/रा0, दिनांक–27.12.2018, पत्रांक–895/रा0, दिनांक–27.12.2022 एवं पत्रांक–71/रा0, दिनांक–31.01.22 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के हिस्से की भूमि पर विपक्षीगण का कोई दखल कब्जा नहीं है। आवेदक का आरोप निराधार है। उक्त आशय का शपथ पत्र शिवनारायण मंडल, पे0–स्व0 असरफी मंडल व पुलकित मंडल, पे0–स्व0 बालदेव मंडल, दोनों सा0–सिंघाड़ी के द्वारा शपथ पत्र सं0–812, दिनांक–29.01.2019 समर्पित किया गया है, जिसमें प्रासंगिक भूमि आवेदक की न होकर शपथकर्त्ता के हिस्से की होने की बात कही गई है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, अंचल अधिकारी, मेहरमा द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन एवं अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकनोपरांत प्रतीत होता है कि प्रासंगिक भूमि पर विपक्षी का कोई दखल कब्जा नहीं है। अतः आवेदक का आरोप निराधार होने के कारण आवेदन खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

17.01.23

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

17.01.23

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

3/05/23.

Digitally signed by Saurabh Kumar Bhuwania
Date: 2023.04.08 12:30:23 +05:30
Location: 192.168.8.115

Scanned with OKEN Scanner